न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉं आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00200 (200/2019) 223 आरटीएक्ट

1. बादूदेवी (पुत्र स्व0 श्री गणेशाराम पुत्र स्व0 श्री बागाराम) धर्मपत्नी श्री रजीराम आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी शेरगढ हाल आबाद रतनपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगए।
2. कलावती (पुत्र स्व0 श्री गणेशाराम पुत्र स्व0 श्री बागाराम) धर्मपत्नी श्री डूंगरराम आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी शेरगढ हाल आबाद रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. मीरादेवी (पुत्र स्व0 श्री गणेशाराम पुत्र स्व0 श्री बागाराम) धर्मपत्नी श्री जीतराम आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी शेरगढ हाल आबाद किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री चुन्नीराम उर्फ चूनाराम पुत्र स्व0 श्री बागाराम आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी पोहड़का तहीसल रावतसर जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट/वादीगण

बनाम

1. गुड्डीदेवी (पुत्री श्री चुन्नीराम उर्फ चूनाराम पुत्र स्व0 श्री बागाराम) धर्मपत्नी मुखराम आयु 60 वर्ष जाति जाट (गोदारा) निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. परमेश्वरी पुत्री सजना जाति जाट निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2019 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्र0स0 150/2016 बअनवानी बादूदेवी आदि बनाम गुड्डीदेवी आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री भानू प्रताप सिह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक:– 12.11.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट [illegible] अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 [illegible] का वाद पेश किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को सहमति

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

जवाब दावा स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। विचारण न्यायालय ने यह अंकित करते हुए कि वादी संख्या 2 परमेश्वरी को नाटिस तामील होने पर भी उपस्थित नही हुई लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत या जवाबदावा नही किया जिससे उसका हिस्सा वादीगण के नाम से किया जाकर प्रतिवादिया परमेश्वरी का नाम कलमजन किया जा सके इसलिए प्रतिवादिया परमेश्वरी का हक सुरक्षित रखते हुए वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 सं0 1 ने हाजिर होकर अपने पिता स्व0 श्री चुन्नीराम के हक व हिस्सा की भूमि में से अपना हिस्सा अपने भाई अपीलाण्ट संख्या 4 के पक्ष में तर्क किये जाने के आदेश किये। अधीनस्थ न्यायालय ने यह वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए स्व श्री गणेशाराम–चुन्नाराम पिसरान बागाराम के नाम दर्ज 2/3 हिस्सा में से अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 को बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा तथा अपीलाण्ट संख्या 4 को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित फरमाया है लेकिन रेस्पो0 सं0 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यथावत रखे जाने के आदेश फरमाये हैं। यद्यपि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन् 2005 से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 2 का पुत्री होने के नाते प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा न होने के कथन किये हैं लेकिन इस निर्णय के पारित होने के बाद अपीलाण्ट जिन्होंने अपने दादा स्व0 श्री बागाराम की कथित पुत्रियां सुगनी व सजना के बारे में कभी नहीं सुना था व वास्तव में स्व0 श्री बागाराम के दो पुत्र गणेशा व चुन्नाराम ही थे के संबंध में अभिलख की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर इस तथ्य का लिखित प्रमाण मिला है कि बागा के दो बेटे चुना व गणेशा ही थे व उसके अलावा उसके और कोई संतान नहीं थी। उक्त प्रमाणिक तथ्य अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पारित होने के बाद ज्ञात हुए हैं। वस्तुतः इन्तकाल संख्या 26 स्व0 श्री बागाराम की मृत्यु के लगभग 15 वर्ष बाद दर्ज हुआ था तथा ये इन्तकाल स्व0 श्री बागाराम के किसी वारिस द्वारा दर्ज नहीं करवाया गया था। अपीलाण्ट औरत जात थी तथा अपने अपने ससुराल [illegible] थी तथा इस आकरण राजस्व अभिलेख में हुई उक्त गलत प्रविष्टि का उन्हें [illegible] नहीं था। अपीलाण्ट ने विधिक राय अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित उक्त प्रविष्टियों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर दिया जबकि वास्तव में ना तो सुगनी स्व0 श्री बागाराम की पुत्री थी व ना ही सजना नाम की बागाराम की कोई पुत्री थी ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ऐसी स्थिति में रेस्पो0 सं0 2 स0 श्री बागाराम की वारिस नही थी तथा रेस्पो0 सं0 2 के नाम प्रश्नगत भूमि में दर्ज 1/3 हिस्सा विलोपित किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर चक 14 एमकेएस तहसील सगरिया तादादी 3.796 है0 में अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 को 1/2 हिस्सा अर्थात 1.898 हैक्टेयर का व अपीलाण्ट संख्या 4 को 1/2 हिस्सा अर्थात 1.898 हैक्टेयर का खातेदार घोषित फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का कथन किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था जो विचारण न्यायालय आंशिक स्वीकार करते हुए चक 14 एमकेएस खाता संख्या 26/20 खाता गणेशाराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में गणेशाराम, चूनाराम पि0 बागाराम के नाम दर्ज कुल आराजी के वादी संख्या 1 ता 3 को 1/2 हिस्सा के तथा वादी संख्या 4 को 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रश्नगत खाता से गणेशाराम, चूनाराम पि0 बागाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 परमेश्वरी पुत्री सजना का हिस्सा व नाम यथावत रखे जाने के आदेश दिये हैं। अपील में अपीलाण्ट का यह कथन है कि बागा के दो बेटे चुना व गणेशा ही थे व इसके अलावा उसके कोई संतान नही थी। ना सुगना व सजना स्व0 श्री बागाराम की पुत्री थी व ना ही परमेश्वरी कथित रूप से स्व0 श्री बागाराम की दोहिती है। इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय पारित होने पर हरिद्वार के पण्डा टीमचंद कालूराम कुशाघाट हरिद्वार से अपने पूर्वजों के वृतान्त संबंधी अभिलेख की सम्यापित प्रतिलिपि प्रापत करने पर इस तथ्य का लिखित प्रमाण मिला कि बागा के दो बेटे चुना व गणेशा ही थे इसके अलावा और उसके कोई संतान नही थी। अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों की पुष्टि अपील में प्रस्तुत हरिद्वारा के पण्डा टीकमचंद कालूराम कुशाघाट हरिद्वार से अपने पूर्वजों के वृतान्त संबंधी अभिलेख संवत 2003 मंगसीर वदी–1 की सम्यापित प्रति की फोटो प्रति से होती है, जिसमें अंकित है कि "इसर बहन गौरा बेटे सेवू के पोते चूहड़ के बड़ा बाप देवसी का बेटा गंगाराम, तुलछाराम, [illegible] बेटा गोवर्धन बहन नारायणी, बागा का बेटा चुना वा [illegible]। इसर [illegible] फल [illegible] भाग का लाया साथ बहन गौरा आई व भतीज गोवर्धन बेटा गंगा का आया [illegible] काका का लाया।" इससे स्पष्ट होता है कि बागा के दो बेटे चुना [illegible] इसके अलावा उसके और कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में रेस्पो0 सं0 2 स्व0 श्री ागाराम की वारिस ही नहीं

Sd/-

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

थी तथा रेस्पा0 सं0 2 के नाम प्रश्नगत भूमि में दर्ज 1/3 हिस्सा विलोपित किये जाने योग्य है। फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रश्नगत कृषि भूमि चक 14 एमकेएस तहसील संगरिया तादादी 3.796 हैक्टेयर में अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 को 1/2 हिस्सा अर्थात 1.898 है0 हैक्टेयर का व अपीलाण्ट संख्या 4 को 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.898 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता हैं। राजस्व अभिलेख में गणेशराम, चूनाराम पि0 बागाराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 परमेश्वरी पुत्री सजना का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19.11.20

(करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री सीबेक अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉं आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00200 (200/2019) 223 आरटीएक्ट

बादूदेवी (पुत्र स्व0 श्री गणेशाराम पुत्र स्व0 श्री बागाराम) धर्मपत्नी श्री रजीराम आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी शेरगढ हाल आबाद रतनपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगए।

1. कलावती (पुत्र स्व0 श्री गणेशाराम पुत्र स्व0 श्री बागाराम) धर्मपत्नी श्री डूंगरराम आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी शेरगढ हाल आबाद रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. मीरादेवी (पुत्र स्व0 श्री गणेशाराम पुत्र स्व0 श्री बागाराम) धर्मपत्नी श्री जीतराम आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी शेरगढ हाल आबाद किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री चुन्नीराम उर्फ चूनाराम पुत्र स्व0 श्री बागाराम आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी पोहड़का तहीसल रावतसर जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. गुड्डीदेवी (पुत्री श्री चुन्नीराम उर्फ चूनाराम पुत्र स्व0 श्री बागाराम) धर्मपत्नी मुखराम आयु 60 वर्ष जाति जाट (गोदारा) निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. परमेश्वरी पुत्री सजना जाति जाट निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2019 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्र0स0 150/2016 बअनवानी बादूदेवी आदि बनाम गुड्डीदेवी आदि

रूबरू श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री भानू प्रताप सिह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पो0 ... ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीक... सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दि... 19.08.2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रश्नगत कृषि भूमि ... संगरिया तादादी 3.796 हैक्टेयर में अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 को 1/2 हिस्सा ...त 1.898 है0 हैक्टेयर का व अपीलाण्ट संख्या 4 को 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.898 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

जाता हैं। राजस्व अभिलेख में गणेशराम, चूनाराम पि0 बागाराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 परमेश्वरी पुत्री सजना का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिकी आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे हस्ताक्षरों से जारी की गई।

19.11.20

(करतार सिंह पूनीयॉ आर..ए.एस)

राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner